कार्यालय
ग्राम पंचायत गडोल
तहसील–कालसी,जिला–देहरादून

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.078 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण के निर्माण हेतु 0.078 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.078 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 0.622 है0) अर्थात कुल 0.700 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गडोल द्वारा दिनांक 15.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.078 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 0.622 है0) अर्थात कुल 0.700 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण तक मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान की मोहर

प्रधान ग्राम पंचायत गडोल
हस्ताक्षर........
दिनांक........
वि0ख0–कालसी, देहरादून